DR. V. SIVADASAN (Kerala): Sir, I too associate myself with the issue raised by the hon. Member.

DR. KANIMOZHI NVN SOMU (Tamil Nadu): Sir, I too associate myself with the issue raised by the hon. Member.

डा. फैयाज अहमद (बिहार) **:** महोदय, मैं भी स्वयं को इस विषय से संबद्ध करता हूँ।

MR. CHAIRMAN: If the Professor can conclude in two minutes, there is no harm. Why take three minutes? Now, Shri Brijlal.

Rising road accidents and deaths caused due to over speeding and rash driving

श्री बृजलाल (उत्तर प्रदेश) **:** सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान आईपीसी की धारा 304ए की तरफ आकृष्ट करना चाहता हूँ। जब कोई एक्सिडेंट होता है और उसमें किसी की मृत्यु होती है, तो उस केस में यह धारा लिखी जाती है।

महोदय, 2021 का जो आँकड़ा है, उसमें पूरे देश में 4 लाख एक्सिडेंट्स हुए। उन एक्सिडेंट्स में 1,55,000 लोग मारे गए, जिनमें 68 परसेंट संख्या 18 से 45 वर्ष के लोगों की है, जो कि लाइफ की प्राइम एज होती है और वह देश की प्रोडक्टिविटी में काम आती है। उन एक्सिडेंट्स में जो घायल हुए हैं, उनकी संख्या 3.7 लाख है। इस देश में 2021 में जो हत्याएँ हुई हैं, उनमें 30,000 लोग मारे गए हैं। इस प्रकार, एक्सिडेंट्स में जितने लोग मारे गए हैं, उनकी संख्या मर्डर्स में मारे गए लोगों की संख्या की 5.17 गुनी है, जो कि बड़ा अलार्मिंग है। एक्सिडेंट्स में जो मुकदमे कायम होते हैं, उनमें 2 साल की सज़ा है और वे थाने से ही बेलेबल हैं। चाहे कोई एक्सिडेंट करके फुटपाथ पर सोते हुए मज़दूरों को दबा दे, अपनी गाड़ी किसी की झोंपड़ी में घुसा दे, तब भी सज़ा मात्र 2 साल की ही है। जो एक्सिडेंट्स होते हैं, उनमें से 85.4 परसेंट एक्सिडेंट्स ओवरस्पीडिंग से होते हैं।

महोदय, मेरा यह कहना है कि यह अंग्रेज़ों के जमाने का कानून था, गाड़ी उन्हीं के पास होती थी, जिनको वे ही चलाते थे और आज भी जो बड़ा वर्ग है, उसी के पास गाड़ी है। वह थाने से ही बेलेबल है और वह एक दिन भी जेल नहीं जाएगा। मेरा आपसे यह अनुरोध है कि धारा 304ए में अमेंडमेंट करके उसमें एक धारा 304एए जोड़ी जाए। अगर एक्सिडेंट कोई शराब के नशे में करता है, ड्रग्स के नशे में करता है, जॉय राइडिंग में करता है, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का प्रयोग करते हुए करता है तो उसकी जिम्मेदारी ज्यादा बनती है, इसलिए उसमें सज़ा का प्रावधान भी ज्यादा होना चाहिए तथा उसमें फाइन भी ज्यादा होना चाहिए, जो कि मृतक के परिवार को दिया जा सके।

महोदय, इसलिए मेरा अनुरोध है कि धारा 304ए में कम से कम 7 साल की सज़ा होनी चाहिए, जुर्माना ज्यादा होना चाहिए और वह जुर्माना मृतक के परिवार को दिया जाना चाहिए। मेरा यही कहना है, जय हिन्द!

श्रीमती सुमित्रा बाल्मीक (मध्य प्रदेश) : महोदय, मैं स्वयं को इस विषय के साथ सम्बद्ध करती हूँ।

सुश्री इंदु बाला गोस्वामी (हिमाचल प्रदेश) : महोदय, मैं भी स्वयं को इस विषय के साथ सम्बद्ध करती हूँ।

श्रीमती गीता उर्फ चंद्रप्रभा (उत्तर प्रदेश) : महोदय, मैं भी स्वयं को इस विषय के साथ सम्बद्ध करती हूँ।

श्री रामचंद्र जांगड़ा (हरियाणा) : महोदय, मैं भी स्वयं को इस विषय के साथ सम्बद्ध करता हूँ।

SHRI AJAY PRATAP SINGH (Madhya Pradesh): Sir, I too associate myself with the issue raised by the hon. Member.

SHRI PARIMAL NATHWANI (Andhra Pradesh): Sir, I too associate myself with the issue raised by the hon. Member.

SHRI P. WILSON (Tamil Nadu): Sir, I too associate myself with the issue raised by the hon. Member.

SHRI JAWHAR SIRCAR (West Bengal): Sir, I too associate myself with the issue raised by the hon. Member.

DR. SANTANU SEN (West Bengal): Sir, I too associate myself with the issue raised by the hon. Member.

SHRI MAHARAJA SANAJAOBA LEISHEMBA (Manipur): Sir, I too associate myself with the issue raised by the hon. Member.

SHRI KAILASH SONI (Madhya Pradesh): Sir, I too associate myself with the issue raised by the hon. Member.

SHRI DEEPAK PRAKASH (Jharkhand): Sir, I too associate myself with the issue raised by the hon. Member.

MS. KAVITA PATIDAR (Madhya Pradesh): Sir, I too associate myself with the issue raised by the hon. Member.

SHRIMATI S. PHANGNON KONYAK (Nagaland): Sir, I too associate myself with the issue raised by the hon. Member.

SHRI VINAY DINU TENDULKAR (Goa): Sir, I too associate myself with the issue raised by the hon. Member.

SHRI ABIR RANJAN BISWAS (West Bengal): Sir, I too associate myself with the issue raised by the hon. Member.

DR. KANIMOZHI NVN SOMU (Tamil Nadu): Sir, I too associate myself with the issue raised by the hon. Member.

DR. FAUZIA KHAN (Maharashtra): Sir, I too associate myself with the issue raised by the hon. Member.

DR. SASMIT PATRA (Odisha): Sir, I too associate myself with the issue raised by the hon. Member.

SHRI M. MOHAMED ABDULLA (Tamil Nadu): Sir, I too associate myself with the issue raised by the hon. Member.

DR. AMAR PATNAIK (Odisha): Sir, I too associate myself with the issue raised by the hon. Member.

SHRIMATI SULATA DEO (Odisha): Sir, I too associate myself with the issue raised by the hon. Member.

MR. CHAIRMAN: Now, Dr. Amar Patnaik.

Need to improve digital infrastructure and connectivity in rural areas of Odisha

DR. AMAR PATNAIK (Odisha): Sir, I thank you for giving me this opportunity. As per the latest report of TRAI, that is, dated 31st July, 2022, the overall tele-density of Odisha is 75.23 per cent which is within the bottom five States of India. Even the North-East has higher tele-density at 77.98 per cent and Jammu and Kashmir at 88.18 per cent. The national average is 85.11 per cent. So you can imagine the kind of denial of digital services to the people staying in this region. Within this, the rural